

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-46/2023-24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

कपिलदेव गोप

-::आदेश::-

30.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-39/2023, दिनांक-04.08.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास (मु०) थाना कांड सं०-41/2023, दिनांक-16.02.2023 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन सं०-JH01EK-1400/Trolley एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू वाहन चालक श्री कपिलदेव गोप पिता रोहन गोप, सा०-बैधमारा, थाना हरला, जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक-16.02.2023 को अप० 5:50 बजे श्री जितेन्द्र कुमार महतो, खान निरीक्षक, बोकारो, थाना प्रभारी चास (मु०) एवं पुलिस बल के साथ संबंधित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत तेलमच्चो घाट पर निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू के खनन कर परिवहन करने के क्रम में पकड़ा गया है। वाहन मालिक/चालक से वैध कागजात की माँग करने पर किसी भी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर उक्त वाहन एवं उस पर लदा बालू तथा वाहन मालिक/चालक के विरुद्ध चास (मु०) थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रतिवादी को निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी के विद्वान

अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी कपिलदेव गोप ट्रैक्टर रजि० सं०— JH01EK-1400 के वैध मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, इसका उपयोग बालु के परिवहन में नहीं किया गया था। वास्तविक तथ्य यह है कि घटना कि तिथि एवं समय पर प्रतिवादी ट्रैक्टर के मैकेनिकल मरम्मत के लिए चास जाते समय स्थानीय पुलिस ने बिना किसी कारण के वाहन को रोक दिया और मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह से भी इसका सत्यापन नहीं किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 में उल्लेखित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने झारखण्ड खान और खनिज अधिनियम या उसके संबद्ध अधिनियमों और नियमों के किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रतिवादी जमानत पर रिहा है। वह एक गरीब ग्रामीण है और प्रश्नगत वाहन उसके आजीविका का एक मात्र साधन है। इसलिए यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

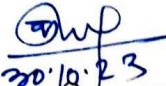
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही बालु का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के बालु का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। उल्लेखनीय है कि बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों को उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की

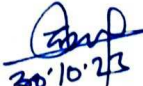


धारा-4(1)/4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा-21 के तहत दण्डनीय है। इसके साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम-4 का भी उल्लंघन है और नियम 54 के तहत दण्डनीय है। वर्णित परिस्थिति में जप्त वाहन के द्वारा अवैध रूप से बालु का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-39/2023, दिनांक-04.08.2023 को स्वीकृत करते हुए चास (मु०) थाना कांड सं०-41/2023, दिनांक-16.02.2023 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन सं०-JH01EK-1400/Trolley एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू को राज्य सरकार के हित में राजसात (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


30/10/23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


30/10/23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।